न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 87/2014

1. केसरदेवी पत्नी शोभाराम जाति मेघवाल निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
2. ओमप्रकाश पुत्र शोभाराम जाति मेघवाल निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

--अपीलार्थीगण

बनाम

1. मामकौरी पुत्री नारायणराम जाति मेघवाल निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर हाल कांकडवाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर ।
2. मनफूल पुत्र नारायण राम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 25 सूरतगढ ।
3. रायसिहं पुत्र श्रवणकुमार जाति मेघवाल निवासी श्यागगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
4. खीवणी देवी पत्नी श्रवणकुमार जाति मेघवाल निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर ।

--रेस्पोडेन्टान

अपील अर्न्तगत धारा 223 रा. का. अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

दिनांक 25.08.2014

उपस्थितिः-

श्री अवतारसिंह, अभिभाषक अपीलांट

श्री अशोक घायल अभिभाषक रेस्पो. सं. 1, 3, 4

श्री हरपालसिंह अभिभाषक रेस्पो.सं. 2

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

दिनांक :- 18.10.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष एक वाद रा.का.अ. की

18/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

धारा 88, 188, 53, 82 ए पेश कर चक श्यामगढ 1 आई डब्लू एम के मु.न. 218/347 की 24.10 बीघा में वादिया के 1/5 हिस्सा घोषित करने, विभाजन करने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का एवं वादिया के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने तथा रहन बैय नहीं करने का अनुतोष चाहा।

प्रतिवादी सं0 1 से 3 ने जबाव दावा पेश कर वाद वादिया डिकी किये जाने में कोई एतराज नहीं किया । सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट के बिना सुने एवं अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए पारित किया गया है अपीलांट द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया था । अधी. न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना आदेश पारित किया हैं अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट अधी.न्यायालय में तामील होने के पश्चात उपस्थित नहीं आये एवं उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही हुई एवं शेष प्रतिवादीगण ने इकबाली जबाव दावा पेश किया जिसके आधार पर दावा डिकी किया गया हैं राजीनामा के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं होती है। अतः अपील खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 25.08.2014 के विरूद्ध पेश हुई है जो रेस्पो संख्या 1 मामकौरी को विवादित आराजी में 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है को अपास्त का अनुतोष चाहा है।

18/10/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी.न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.08.2014 Compromise decree के रूप में निर्णित है। अतः सीपीसी की धारा 96(3) के प्रावधानुसार पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है। उसकी कोई अपील नहीं होगी । उपरोक्त तकनिकी आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

18/10/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. केसरदेवी पत्नी शोभाराम जाति मेघवाल निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
2. ओमप्रकाश पुत्र शोभाराम जाति मेघवाल निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

--अपीलार्थीगण

बनाम

1. मामकौरी पुत्री नारायणराम जाति मेघवाल निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर हाल कांकडवाला तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. मनफूल पुत्र नारायणराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 25 सूरतगढ ।
3. रायसिहं पुत्र श्रवणकुमार जाति मेघवाल निवासी श्यागगढ़ तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
4. खीवणी देवी पत्नी श्रवणकुमार जाति मेघवाल निवासी श्यामगढ़ तहसील रायसिंहनगर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर ।

--रेस्पोडेन्टान

अपील संख्या 87/2014 व नाराजगी डिकी अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर मुवर्खा 25 माह 08 सन् 2014

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 18 माह 10 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री अवतार सिंह अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री अशोक धायल अभिभाषक रेस्पों. सं. 1, 3, 4 , श्री हरपालसिंह अभिभाषक रेस्पों. सं. 2 एव श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X ......) रूपये.. X अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 18.10.2017 को जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)